कार्यालय उप वन सरक्षंक, उदयपुर (राज0)।।
वन भवन परिसर, मोहता पार्क के सामने, चेटक सर्कल, उदयपुर (राज0) पिन–313001
E-mail:- dcfudaipur@gmail.com Phone / Fax 2429239

क्रमांक एफ( )/तकनीकी/उवसं/उदय/2017–18/8855 दिनांक: 20.6.17

निमित्त् ,

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर

विषयः–Proposal for Diversion of Forest Land in Udaipur district Rajasthan state for the work of gauge conversion of Udaipur Himmatnagar Railway line
संदर्भः–आपका पत्रांक पत्रा ( )वसु/मुवस/2015–16/4370 दिनांक 01.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से अनारक्षण प्रस्ताव सम्बन्धित आक्षेप प्राप्त हुए थे। यूजर एजेन्सी द्वारा उक्त प्रस्ताव पर लगाए गये आक्षेपो की पूर्ति कर 5 सेट में प्रस्ताव 17.06.2017 को प्रस्तुत किये है। प्रस्ताव के आक्षेप का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार कर दिया गया है।

1. प्रस्ताव के पार्ट II के बिन्दु संख्या 05 में कार्य आयोजना विवरण की पूर्ति कर ली गई है। रेल्वे गेज परिवर्तन से प्रभावित सभी वन खण्ड मनिओल उर्फ काली घाटी, अजबरा, बसु–बी, रेलपातलिया व काबरी स्वीकृत कार्य आयोजना अनुसार Soil conservation & Rehabilitation working circle में आते है। इसका विस्तृत विवरण संलग्न है। (Annexure-1)
2. यूजर एजेन्सी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
3. गैर वन भूमि वन मण्डल उदयपुर (उत्तर) को आवंटित हुई है इसलिए इस कार्यालय से टिप्पणी अपेक्षित नही है।
4. वन मण्डल उदयपुर (उत्तर) से सम्बन्धित होने से टिप्पणी इस कार्यालय से अपेक्षित नहीं है।
5. प्रभावित हो रहे वन क्षेत्र के आस–पास के वन क्षेत्र का निरीक्षण कर ऑक्यूलर एस्टीमेशन के आधार पर वनस्पति घनत्व 0.75 पाया गया है साथ ही उक्त क्षेत्र में विभागीय वृक्षारोपण भी समय–समय पर कराये गये है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.स	नाम कार्यस्थल	वनखण्ड	वृक्षारोपण वर्ष
1	बसु–बी	बसु–बी	1994
2	काबरी–एफ	काबरी	1995
3	ओडा	मनिओल उर्फ कालिघाटी	2014
4	काबरी–बी	काबरी	2015
5	बगरूवा जावरमाता	मनिओल उर्फ कालिघाटी	2015

Scanned by CamScanner

वृक्षारोपण क्षेत्र की 7130 र.मी. दीवार प्रभावित होने से उक्त दीवार पुनः बनाना आवश्यक होगा ताकि वन्यजीव अनयास रेलवे पटरी पर नही आए व वन्यजीव दुर्घनाग्रस्त नही हो इसलिए सेमी स्किल्ड दीवार निर्माण की राशि की मांग की गई है।

अनारक्षण से प्रभावित होने वाले 9353 वृक्षो की सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसमें 10–30 से.मी. से लेकर 166–180 से.मी. गर्थ क्लास के पौधे सूचीबद्ध किये गये है जबकि ऑन लाईन प्रपत्र में 10–30 से.मी. गर्थ क्लास सम्मिलित नही होने से उनकी प्रविष्टी नहीं हो पाई है। कई प्रजातियो के नाम ऑनलाईन प्रपत्र में नही होने से उन्हे OTHERS में सम्मिलित किया गया है। इस कारण ऑन लाईन व हॉर्ड प्रति में वृक्षो की सूचना में अन्तर आ रहा है।

6. स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है व प्रभावित वन क्षेत्र का विवरण संलग्न है। (Annexure-1)
7. एन.पी.वी. व अन्य राशि की गणना संलग्न कर दी गई है।
8. यूजर एजेन्सी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
9. यूजर एजेन्सी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
10. प्रस्ताव में संलग्न समस्त दस्तावेजो का समन्वय सही करके आवश्यक दस्तावेजो पर हस्ताक्षर कर दिये गये है । ऑनलाईन किये गये सभी दस्तावेजो की हॉर्ड प्रति संलग्न कर दी गई है। प्रस्ताव की मूल व एक छाया प्रति पर यूजर एजेन्सी के अधिकृत अधिकारी के व वन विभाग के नक्शे, राशि गणना आदि पर उप वन संरक्षक के हस्ताक्षर कर दिये गये है।

उपरोक्तानुसार आक्षेपो की पूर्ति कर प्रस्ताव 04 प्रति में पुनः अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– प्रस्ताव (4 सेट)

भवदीय

(आर.के.जैन.भा.व.से.)
उप वन संरक्षक,
उदयपुर

क्रमांकः–एफ( )तकनिकी/उ.व.सं../17–18/8858-58 दिनांकः– 20-6-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।
2. उप वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर)।
3. उप मुख्य इंजिनियर (नि.), उत्तर पश्चिम रेलवे, उदयपुर।

उप वन संरक्षक,
उदयपुर

Scanned by CamScanner